दिनांक: 4 जून 2014

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम

महोदय,

हम जाँचना चाहते हैं कि राजभाषा के सम्मान व राजभाषा को प्रोत्साहन देने हेतु विदेश मंत्रालय कितना सजग व तत्पर है अतः निम्न प्रश्न जन सूचना अधिकार के अंतर्गत पूछे जाते हैं, कृपया 30 दिनों में बिन्दुबार उत्तर दीजिए:

1. **विदेश मंत्रालय** में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में विगत वर्ष 2013-14 में स्टाफ की कितनी बैठकें हुईं?

2. क्या उनमें राजभाषा में कामकाज करने संबंधी विषय आया? यदि हाँ, तो उस संबंध में हुई चर्चा और निर्णय की प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ। यदि नहीं तो बताएँ कि 01-04-2012 से 31-03-2014 तक राजभाषा के नियम-अनुपालन संबंधित कितनी बार चर्चा हुई तथा इसके निर्णय व कार्यान्वयन का क्या-२ विवरण मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया?

3. **विदेश मंत्रालय** में निदेशक अथवा उससे उच्च श्रेणी के किस-किस अधिकारी को हिन्दी टंकण की अत्यंत सुविधापूर्वक आदर्श प्रणाली अर्थात् **इनस्क्रिप्ट प्रणाली** की जानकारी है, नाम बतायें।

4. वरिष्ठ अधिकारियों में हिन्दी संबंधी जागरुकता व ज्ञान बढ़ाने हेतु **विदेश मंत्रालय** ने विगत पाँच वर्षों में कितनी बार अपने किस-२ अधिकारी को प्रशिक्षण के लिये भेजा, नाम, पदनाम सहित सूची दें।

5. विदेश मंत्रालय के कामकाज में राजभाषा को प्रोत्साहन देने हेतु **विदेश मंत्रालय** का अगले पाँच वर्षों के लिये दृष्टिकोण-पत्र (विज़न-डॉक्यूमेंट) क्या है?

6. विदेश मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारी/ अधिकारियों के परिचय-पत्र (आई-कार्ड) किस भाषा में बनाए गए हैं, एक नमूना उपलब्ध करवाएँ?

7. **विदेश मंत्रालय** के मुख्यालय में लगे हुए सभी सूचना-पट्ट (जैसे:मुख्यद्वार /प्रवेश /निकास /पेयजल /प्रसाधन /उद्यान/स्वागत-कक्ष/अग्नि-निकास आदि) एवं अधिकारी नाम-पट्ट किस भाषा में बनाए गए हैं, एक नमूना उपलब्ध करवाएँ?

8. विदेश मंत्रालय में किस-किस भाषा के कौन-२ से समाचार-पत्र मँगाए जाते हैं, सूची दें?

9. **विदेश मंत्रालय** द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय समारोहों-कार्यक्रमों के आमंत्रण-पत्र, बैनर, अतिथि नाम-पट्ट, प्रवेश-पत्रक (एंट्री-पास) किस भाषा में छपाये जाते हैं, वर्ष 2013-14 के किसी एक आयोजन के नमूने उपलब्ध करवाएँ?

10. "पासपोर्ट सेवा" प्रतीक-चिह्न राजभाषा का अपमान करते हुए केवल अंग्रेजी में है, मंत्रालय इस उल्लंघन को कब दूर करवाएगा?

आवेदक:
प्रवीण जैन

आग लगने पर
लिफ्ट का प्रयोग न करें
In case of fire
do not use lift
सीढ़ियों का प्रयोग करें
Take the stairs
अग्नि निकास
भीड़ न लगाएं
Fire Exit
Do not crowd

<u>पंजीकृत डाक द्वारा</u>

संख्या : क्यू/सम्पत्ति -II/551/02/2010 दिनांक : 19.06.2014

श्री प्रवीन जैन,
103ए, आदीश्वर सी०एच०एस०,
सेक्टर-9ए, वासी,
नवी मुम्बई ·

<u>विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनार्थ</u>

श्रीमान जी,

आप द्वारा प्रेषित आर0टी0आई0 प्रार्थनापत्र दिनांक 04.06.2014 (जो कि 10.06.2014 को आर०टी०आई० कक्ष में प्राप्त हुआ) कम संख्या 7 का उत्तर निम्न हैः-

विदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरु भवन में स्थापित सभी सूचना पटट द्विभाषी हैं यानी हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में हैं(नमूना संलग्न)।

2. यदि किसी कारणवश आप अधोहस्ताक्षरी (CPIO) के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकारी श्री विजय सिंह, उप-सचिव(एस०पी०-वी०एम०), कमरा संख्या-4043, जवाहरलाल नेहरु भवन, 23डी०, जनपथ, नई दिल्ली-110011 से संपर्क करें ।

भवदीय,

राजेश कपूर

(राजेश कपूर)

उप-सचिव(सम्पति-II/ओडिए/टीके)

प्रतिलिपी : आर०टी०आई० कक्ष, कमरा संख्या-2021, जवाहरलाल नेहरु भवन, 23डी०, जनपथ, नई दिल्ली-110011